निर्णय इजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा आध्यासित।

प्रकरण संख्या:- 91/2012

दायरा दिनांक:- 5/ 11/ 2012

निर्णय दिनांक:- 31-03-20222

उनवान

उर्मिला बाई पत्नी कृष्ण गोपाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम तुलसा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. बलराम पुत्र श्री राम चरण जाति धाकड़ निवासी तुलसा तहसील बारां जिला बारां
2. नंदकिशोर पुत्र श्री मूलचंद जाति धाकड़ निवासी तुलसा तहसील बारां जिला बारां
3. राजेंद्र कुमार पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़
4. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़
5. मुकुट बिहारी पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी गण तुलसा तहसील बारां जिला बारां
6. बाबूलाल मुतबन्ना मदनलाल जाति धाकड़ निवासी तुलसा तहसील बारां जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आरटी एक्ट

उपस्थित अभिभाषक गण :- 1. श्री संजय नगर-प्रार्थी

2. श्री उमेश भारद्वाज-अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:- 31-03-2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

अप्रार्थी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

काश्त की आराजी खसरा नंबर 745 रखवा 0. 20 हेक्टेयर बाके ग्राम तुलसा तहसील बारां मैं स्थित है जिसको प्रार्थीया ने जरिए रजिस्टर्ड दिनांक 1/5/2009 को खरीद किया है जिस पर प्रार्थी या बस 2009 से काबिल काश्त चली आ रही है तथा उक्त वर्णित आराजी पर आने जाने व कृषि कार्य हेतु रास्ता आराजी खसरा नंबर 746 व 744 की बीच की मेड पर होकर रास्ता कायम है पर होकर प्रार्थी या उक्त वर्णित आराजीयात कृषि कार्य करती चली आ रही है प्रार्थी या द्वारा वर्तमान में सोयाबीन की फसल की बुवाई की गई थी कटाई भी की जा चुकी है परंतु अप्रार्थी गण बलराम नंदकिशोर राजेंद्र सत्यनारायण व मुकुट बिहारी बाबूलाल द्वारा प्रार्थी या के कृषि कार्य करने वाले रास्ता मेड पर पत्थरों से कोर्ट तैयार कर अप्रार्थी गण द्वारा जबरन ताकत के बल पर रास्ता अवरुद्ध कर दिया जिसके कारण प्रार्थी आके खेत में से पकी पकाई सोयाबीन की फसल को भी घर पर नहीं आ सकी है प्रार्थी द्वारा सोयाबीन की फसल को थ्रेसर करवाने के लिए खेत पर ट्रैक्टर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है जो रास्ता पूर्व में था उसको ए प्रार्थी गण क्रमांक 1 से 6 ने पूर्णतया बंद कर दिया गया है इस कारण प्रार्थना की कृषि कार्य करने से वंचित हो गई है प्रार्थीया के कृषि कार्य समय पर नहीं होने के कारण काफी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बड़ी मेहनत से सोयाबीन की फसल तैयार की थी जो पक जाने के बावजूद भी रास्ते के अभाव में थ्रेसर से नहीं निकल पा रहा है तथा खेत में ही नष्ट हो रही है प्रार्थी या को उक्त वर्णित आराजी पर कृषि कार्य करने के लिए सोयाबीन की फसल में थ्रेसर से निकलवाने के लिए अविलंब रास्ता खुलासा करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी या द्वारा पूर्व में रास्ता खुलासा करवाए जाने बाबत ग्राम पंचायत में भी प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर ग्राम पंचायत तुलसा द्वारा अप्रार्थी गण को रास्ता खुलासा करने बाबत समझाया गया था परंतु अप्रार्थी गण रास्ता खुलासा करने में सहमति जाहिर नहीं की गई इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र निस्तारित करते हुए तहसीलदार साहब बारां के यहां मूल पत्रावली सहित पालनार्थ भेजी गई जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा भी धारा 251 ए के तहत न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

आवेदन करने बाबत निर्देशित किया गया। प्रार्थी या द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम दो की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम तुलसा संवत 2069 से 2072 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम तुलसा संवत 2069 से 2072 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम तुलसा नकल जमाबंदी ग्राम तुलसा संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 142 नकल जमाबंदी ग्राम तुलसा संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 103 फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 1 मई 2009 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी लाके ग्राम तुलसा तहसील बारां के खसरा नंबर 745 रकवा 0. 20 हेक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए खसरा नंबर 746 व 744 की मेड पर होकर आते जाते थे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी अपने खेत पर आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थी अपनी भूमि की ऊराई जुताई करने में असमर्थ है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी गण से अपने खेत पर जाने के लिए रास्ते हेतू कई बार निवेदन किया परंतु प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता जलाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है की प्रार्थी खसरा नंबर 744,746 के बीच की मेड पर होकर नहीं जाता है खसरा नंबर 745 की आराजी पर जाने का कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं विद्या होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता प्रार्थी का रास्ता खसरा नंबर 745 [illegible] पूर्व दिशा से काकड़ पर होकर आने जाने का रास्ता है अप्रार्थी क्रम दो द्वारा अपने खेत [illegible] के चारों तरफ पत्थरों का कोर्ट कर

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रखा है जिस पर किनारे किनारे वृक्ष भी लगे हुए हैं रास्ते को लेकर 2009 से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई विवाद खातेदार आन के बीच नहीं हुआ ए प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 746 में चारों ओर पत्थरों की बाउंड्री वाल करवा रखी है जिसके सहारे पेड़ लगे हुए हैं किशन गोपाल के विरुद्ध प्रार्थी ने दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को तहसीलदार साहब के समक्ष जबरन रास्ता निकलवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार साहब द्वारा हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया था कि खातेदार किया राज्य से रास्ता कैसे निकाल रहा है बंद कर पाबंद करें हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 744 एवं 746 के मध्य मेल पर होकर आने जाने के लिए सरकारी रास्ता नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाए जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अध्यापन अध्ययन किया गया तहसीलदार बारां से विवादित भूमि के रास्ते संबंधी रिपोर्ट ली गई तहसीलदार बारां ने अपनी रिपोर्ट में बताया की प्रार्थी या उर्मिला बाई द्वारा खसरा नंबर 745 पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है मौके पर वर्तमान में ग्राम तुलसा से खेराली पक्की सड़क से लगवा खसरा नंबर 744 व 1475/744 में से होकर निकलना बताया है मौके पर किसी प्रकार के रास्ते के निशान आप नहीं हैं खसरा नंबर 744 की पूर्वी मेड पर सड़क के सहारे पत्थर का कोर्ट हो रहा है वादी द्वारा बताया गया कि उसके खेत खसरा नंबर 745 पर पहुंचने के लिए खसरा नंबर 744 व 1475 /744 के मध्य मौका अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर मेड से होकर जाता है खसरा नंबर 744 के खातेदार धनराज हरीश कुमार पुत्र जगन्नाथ कैलाश भाई पत्नी जगन्नाथ जाति धाकड़ साकिन दे दर्ज है तथा खसरा नंबर 1475/ 744 के खातेदार राजेंद्र कुमार मुकुट बिहारी सत्यनारायण पुत्र भंवर लाल जानकी बाई पत्नी भवरलाल जाति धाकड़ साकिन देह दर्ज होना बताया है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी या द्वारा खसरा नंबर 74[illegible]5/ 744 के बीचोबीच रास्ता चाहती है जबकि 744 एवं 1475/744 की मेड से खसरा [illegible] तक रास्ता दिया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

प्रार्थी या का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 744 एवं 1475/744 तथा 771 एवं 746 कि मेड पर होकर रास्ता दिया जाना न्याय उचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके तुलसा तहसील बारां की आराजी खसरा नंबर 745 तक जाने का रास्ता खसरा नंबर 744 771 746 एवं 1475 /744 कि मेड से 15 फीट का रास्ता दिया जाता है प्रार्थी या उक्त रास्ते के बदले वर्तमान डीएलसी दर के दोगुना राशि तहसील कार्यालय में जमा करावे तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है कि खसरा नंबर 744 741 746 एवं 1475/744 के खातेदारों को भुगतान करने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।

दिवांशु शर्मा
(आर.ए.एस)
उपखंड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner